कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, गॉर्टन कैसल
शिमला - 171 003

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

Office of the Principal Accountant General (Audit)
Himachal Pradesh,
Gorton Castle, Shimla-171 003

परिपत्र (प्रशसन)

मुख्यालय कार्यालय द्वारा परिपत्र संख्या 13-स्टाफ/2026, पत्र संख्या 221-स्टाफ (नियुक्ति-III)/163-2024 दिनांक 17.03.2026 के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि यह संज्ञान में आया है कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी सोशल मीडिया एवं अन्य अनौपचारिक माध्यम से असत्यापित एवं भ्रामक सूचनाओं का प्रसार कर रहे हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस विषय को गंभीरता से लिया गया है।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल आधिकारिक माध्यमों से जारी सूचना ही प्रामाणिक मानी जाएगी। कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की असत्यापित सूचना को तैयार करने, अग्रेषित करने अथवा साझा करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

इस प्रकार की गतिविधियों से कर्मचारियों के मध्य भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। जाली इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का निर्माण अथवा उनका प्रसार *सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000* तथा *केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964* के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचार माना जाएगा तथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिक एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अतः इस कार्यालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

Hqrs. office, vide circular No. 13-Staff/2026, issued under No. 221-Staff (Appt. III)/163-2024 dated 17.03.2026, has intimated that it has come to notice that certain officers/officials are disseminating unverified and misleading information through social media and other informal channels. The Competent Authority has viewed the matter seriously.

In this regard, it is clarified that only information issued through official channels shall be treated as authentic. Employees are strictly prohibited from creating, forwarding, or sharing any unverified information.

Such actions lead to avoidable confusion among staff. Creation or circulation of forged electronic records is punishable under the provisions of the Information Technology Act, 2000 and shall also be treated as misconduct under the CCS (Conduct) Rules, 1964. Such acts will be viewed as serious misconduct and may invite legal as well as departmental action against the concerned individual. All officers and staff of this office are, therefore, advised to ensure strict compliance with the above instructions.

हस्ता/-
वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)

संख्या: प्रशा०/ले०प०/परिपत्र एवं संशोधन/CCS(CCA)/Rules/I/1361334/2026
दिनांक: 23-03-2026

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही तथा सूचनार्थ प्रेषित हैः-</u>

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार ।
2. निजी सहायक वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) ।
3. निजी सहायक वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-I, II व् III) ।
6. सभी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ।
7. कल्याण अधिकारी ।
8. सभी अधिकारी/कर्मचारी ।

Digitally signed by
Rakesh Bhan
Date: 23-03-2026
20:13:31

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

Phone: +91-177-2652607 E-mail: agauhimachalpradesh@cag.gov.in